


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2014/आषाढ़ 30, 1936

No. 374]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2014/ASHADHA 30, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 517(अ).—केन्द्रीय सरकार, राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 जुलाई, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 20/1/2014-एम एंड जी]

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2014

G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Act, 2014, (8 of 2014), the Central Government hereby appoints the 16th day of July, 2014, as the date on which the said Act shall come into force:

[F. No. 20/1/2014-M&G]

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.